न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 102/2023

पीठासीन अधिकारी – कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान :–

1.गुणेश 2.नवला 3.मेघा 4.अर्जुन पि.बींजा
जाति विश्नोई, निवासी राजीव नगर, चौहटन
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये
1.सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. चौहटन
2.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण –

प्रार्थीगण :– श्री रामजीवन विश्नोई
विप्रार्थीगण :–

निर्णय

दिनांक :– 03.06.2025

प्रार्थीगण के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत मौजा चौहटन तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में मूल खसरा सं. 666 रकबा 32.05 बीघा का स्थित था, जिसमें बाद में सड़क कटने से नवसृजित खसरा नम्बर मौजा विष्णु नगर तहसील चौहटन में खसरा सं. 1533/666 रकबा 00.2833 हैक्टयर एवं मौजा राजीव नगर में खसरा सं. 1317/666 रकबा 02.8814 हैक्टयर स्थित है।

प्रार्थीगण के उक्त मूल खसरा सं. 666 रकबा 32.05 बीघा में रास्ता कटाण किया गया है जो मौजा विष्णुनगर पटवार क्षेत्र चौहटन तहसील चौहटन में खसरा सं. 1316/666 रकबा 00.2833 हैक्टयर है जो विप्रार्थी सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से दर्ज है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा लट्टा ट्रेस उक्त सड़क की तरमीम करते समय प्रार्थीगण के खसरा मौजा राजीव नगर के खसरा सं. 1377/666 रकबा 14.07 बीघा के स्थान पर 16.05 बीघा कर दिया एवं मौजा विष्णु नगर के खसरा सं. 1533/666 रकबा 03.08 बीघा के स्थान पर 01.10 बीघा भूमि की गलत तरमीम कर दी जिससे दोनों खसरो की भूमि कम ज्यादा हो गई है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा सड़क कटाण के बाद सही तौर पर तरमीम न करके गलत तरमीम कर दी गई है जिसे प्रार्थीगण दुरस्त करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थीगण ने आवेदन पेश कर [illegible] खसरा सं. 1533/666

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.06.24 17:26:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

रकबा 00.2833 हैक्टयर एवं मौजा राजीव नगर के खसरा सं. 1317/666 रकबा 02.8814 हैक्टयर एवं मौजा विष्णु नगर के खसरा सं. 1316/666 रकबा 00.2833 हैक्टयर भूमि की लट्ठा ट्रेस में गलत तरमीम को खारीज कर पुनः मौजा विष्णुनगर के खसरा सं. 1533/666 रकबा 01.10 बीघा के स्थान पर रकबा 03.08 बीघा की तरमीम की जावे तथा प्रार्थीगण के उतर दिशा की तरफ मौजा राजीव नगर के खेत खसरा सं. 1317/666 रकबा 16.05 बीघा में से 01.18 बीघा भूमि कम कर शेष रकबा 14.07 बीघा भूमि मौके पर कब्जा एवं सलंग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये अनुसार दुरस्त की जावे । ऐसी इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजि.नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 1 स्वयं उपस्थित हुए, विप्रार्थी सं. 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया । आवेदन में वर्णित वादग्रस्त भूमि की तरमीम दुरस्ती की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा गया। तहसीलदार चौहटन से तरमीम दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट स्वीकार की तथा निवेदन किया कि तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवेदन का निस्तारण किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वादग्रस्त आराजी तहसील चौहटन पटवार हल्का चौहटन के मौजा राजीव नगर के खसरा सं. 1317/666 एवं मौजा विष्णु नगर के खसरा सं. 1533/666 एवं खसरा सं. 1316/666 की तरमीम तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा अनुसार दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट फर्द मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार [illegible] संख्या से एक कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.06.24 17:26:25 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार चौहटन जिला–बाड़मेर

क्रः– भू.अ. / 2024 / 994 दिनांकः– 30.5.2024

प्रेषितः– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चौहटन।

विषयः– राजस्व आवेदन संख्या 102 / 2023 अनवान गुणेश बगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये सहायक अभियंता सानिवि चौहटन वगैरा अन्तर्गत धारा 131, 136 आरएलआर एक्ट में तरमीम दुरस्ती संबंधी जांच कर तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

प्रसंगः– श्रीमान जी पत्र कमांकः– राजस्वकॉर्ट / 2024 / 686 दिनांक 21.03.2024।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि राजस्व आवेदन संख्या 102 / 2023 अनवान गुणेश बगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये सहायक अभियंता सानिवि चौहटन वगैरा अन्तर्गत धारा 131, 136 आरएलआर एक्ट में ग्राम विष्णु नगर के खसरा नम्बर 1533 / 666, 1316 / 666 व राजीव नगर के खसरा नम्बर 1317 / 666 की तरमीम दुरस्ती संबंधी जांच हेतु भू अभिलेख निरीक्षक चौहटन से तलब की गई। भू अभिलेख निरीक्षक चौहटन से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम चौहटन के मूल खसरा नम्बर 666 रकबा 32.02 बीघा के विभाजित खसरा नम्बर 1316 / 666 रकबा 0.2833 हैक्ट. खसरा नम्बर 1533 / 666 रकबा 0.2833 हैक्ट. नये राजस्व ग्राम के सृजन के दौरान राजस्व ग्राम विष्णु नगर में एवं खसरा नम्बर 1317 / 666 रकबा 2.8844 हैक्ट. व खसरा नम्बर 1315 / 666 रकबा 1.7401 हैक्ट. ग्राम राजीव नगर में शामिल किये गये। मौके पर ग्राम विष्णु का खसरा नम्बर 1316 / 666 रकबा 0.2833 हैक्ट (1.15 बीघा) किस्म गैर मुमकिन सडक पीडब्ल्युडी के नाम सलंग्न नक्शा परिशिष्ट **ब** में दर्शाए बिन्दू EF से GH बरंग नारंगी अनुसार स्थित है जबकि उक्त सडक खसरा नम्बर 1316 / 666 रकबा 0.2833 हैक्ट (1.15 बीघा) की वर्तमान रेकर्ड में तरमीम परिशिष्ट **अ** में दर्शाए बिन्दू AB से CD बरंग नारंगी अनुसार है। सडक के दक्षिण में मूल खसरा नम्बर 666 का शेष भाग ग्राम विष्णु नगर के खसरा नम्बर 1533 / 666 का मौके पर रकबा 0.5342 हैक्ट (3.06 बीघा) है जबकि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा नम्बर 1533 / 666 रकबा 0.2833 हैक्ट (1.15 बीघा) दर्ज है। सडक के उतर में ग्राम राजीव नगर के खसरा नम्बर 1317 / 666 का मौके पर रकबा 2.6304 हैक्ट. (16.05 बीघा) है जो राजस्व रेकर्ड अनुसार 2.8813 हैक्ट. (17.16 बीघा) है। ग्राम विष्णु नगर का खसरा नम्बर 1316 / 666 किस्म गैर मुमकिन सडक का मौके एवं रेकर्ड अनुसार रकबा समान है, सडक के रकबे में मौके व रेकर्ड में भिन्नता नहीं है परन्तु मौके की स्थिति में भिन्नता है जो सलंग्न परिशिष्ट अ (रेकर्ड अनुसार) व परिशिष्ट ब (मौके अनुसार) है। उक्त तीनों खसरा नम्बरान के रकबे का तुलनात्मक विवरण इस प्रकार है

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.06.24 17:26:25 IST
Reason: SelfAttested

क.स.	नाम ग्राम	खसरा नम्बर	रेकर्ड अनुसार रकबा	मौके अनुसार	कमी / बेशी
1	राजीव नगर	1317 / 666	17.16 बीघा	16.05 बीघा	1.11 बीघा (कमी)
2	विष्णु नगर	1533 / 666	1.15 बीघा	3.06 बीघा	1.11 बीघा (बेशी)
3	विष्णु नगर	1316 / 666	1.15 बीघा	1.15 बीघा	—

मौके अनुसार रकबा दुरस्त किया जाना उचित है।

सलंग्नः– मौका रिपोर्ट।

Ex-Cunt

तहसीलदार चौहटन
तहसीलदार चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

श्रीमान तहसीलदार साहब
चौहटन।

विषयः— राजस्व आवेदन संख्या 102/2023 अनवान गुणेश बगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये सहायक अभियंता सानिवि चौहटन वगैरा अन्तर्गत धारा 131, 136 आरएलआर एक्ट में तरमीम दुरस्ती संबंधी जांच कर तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

प्रसंगः— श्रीमानजी का पत्रांकः भू.अ./2024/612 दिनांक 12.04.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के कम में निवेदन है कि राजस्व आवेदन संख्या 102/2023 अनवान गुणेश बगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये सहायक अभियंता सानिवि चौहटन वगैरा अन्तर्गत धारा 131, 136 आरएलआर एक्ट में ग्राम विष्णु नगर के खसरा नम्बर 1533/666, 1316/666 व राजीव नगर के खसरा नम्बर 1317/666 की तरमीम दुरस्ती संबंधी जांच हेतु मूल खसरा नम्बर 666 का मौका मुआयना किया गया। ग्राम चौहटन के मूल खसरा नम्बर 666 रकबा 32.02 बीघा के विभाजित खसरा नम्बर 1316/666 रकबा 0.2833 हैक्ट. खसरा नम्बर 1533/666 रकबा 0.2833 हैक्ट. नये राजस्व ग्राम के सृजन के दौरान राजस्व ग्राम विष्णु नगर में एवं खसरा नम्बर 1317/666 रकबा 2.8844 हैक्ट. व खसरा नम्बर 1315/666 रकबा 1.7401 हैक्ट. ग्राम राजीव नगर में शामिल किये गये। मौके पर ग्राम विष्णु का खसरा नम्बर 1316/666 रकबा 0.2833 हैक्ट (1.15 बीघा) किस्म गैर मुमकिन सडक पीडब्ल्युडी के नाम सलंग्न नक्शा परिशिष्ट **ब** में दर्शाए बिन्दू EF से GH बरंग नारंगी अनुसार स्थित है जबकि उक्त सडक खसरा नम्बर 1316/666 रकबा 0.2833 हैक्ट (1.15 बीघा) की वर्तमान रेकर्ड में तरमीम परिशिष्ट **अ** में दर्शाए बिन्दू AB से CD बरंग नारंगी अनुसार है। सडक के दक्षिण में मूल खसरा नम्बर 666 का शेष भाग ग्राम विष्णु नगर के खसरा नम्बर 1533/666 का मौके पर रकबा 0.5342 हैक्ट (3.06 बीघा) है जबकि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा नम्बर 1533/666 रकबा 0.2833 हैक्ट (1.15 बीघा) दर्ज है। सडक के उतर में ग्राम राजीव नगर के खसरा नम्बर 1317/666 का मौके पर रकबा 2.6304 हैक्ट. (16.05 बीघा) है जो राजस्व रेकर्ड अनुसार 2.8813 हैक्ट. (17.16 बीघा) है। ग्राम विष्णु नगर का खसरा नम्बर 1316/666 किस्म गैर मुमकिन सडक का मौके एवं रेकर्ड अनुसार रकबा समान है, सडक के रकबे में मौके व रेकर्ड में भिन्नता नहीं है परन्तु मौके की स्थिति में भिन्नता है जो सलंग्न परिशिष्ट अ (रेकर्ड अनुसार) व परिशिष्ट ब (मौके अनुसार) है। उक्त तीनों खसरा नम्बरान के रकबे का तुलनात्मक विवरण इस प्रकार हैः—

क.स.	नाम ग्राम	खसरा नम्बर	रेकर्ड अनुसार रकबा	मौके अनुसार रकबा	कमी/बेशी
1	राजीव नगर	1317/666	17.16 बीघा	16.05 बीघा	1.11 बीघा (कमी)
2	विष्णु नगर	1533/666	[illegible]	[illegible]	1.11 बीघा (बेशी)
3	विष्णु नगर	1316/666	1.15 बीघा	[illegible] बीघा	—

मौके अनुसार रकबा दुरस्त किया जाना उचित है।

भू अभिलेख निरीक्षक
चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.06.24 17:26:25 IST
Reason: SelfAttested

मौका - फर्द

आज दिनांक 15.04.2024 को श्रीमान तहसीलदार -चौहटन के आदेश क्रमांक: भूअ./612 दिनांक 12.4.2024 की पालना में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी -चौहटन में विचाराधीन राजस्व आवेदन सं. 102/2023 उनवान गुणेश वगैरह बनाम राज० सरकार जरिये सहा० अभियंता PWD -चौहटन वगैरह अंतर्गत धारा 131, 136 RLR एक्ट में मौजा विष्णुनगर के ख.नं. 1533/666 रकबा 0.2833 हैक्ट., ख.नं. 1316/666 रकबा 0.2833 हैक्ट. एवं मौजा राजीवनगर के ख.नं. 1317/666 रकबा 2.8814 हैक्टेयर की तरमीम दुरस्ती संबंधी जांच हेतु पटवारी हल्का -चौहटन, प्रार्थीगण व मौतबिरान की उपस्थिति में मौका-मुआयना किया गया। ग्राम चौहटन का मूल ख.नं. 666 रकबा 32.02 बीघा के विभाजित खसरा नंबर 1316/666 रकबा 0.2833 हैक्ट.; ख.नं. 1533/666 रकबा 0.2833 हैक्ट. नये ग्राम सृजन के दौरान राजस्व ग्राम विष्णुनगर व ख.नं. 1317/666 रकबा 2.8814 हैक्ट. व ख.नं. 1315/666 रकबा 1.7401 हैक्ट. राजस्व ग्राम राजीवनगर में शामिल किये गये है।

वर्तमान रेकर्ड अनुसार तरमीम
परिशिष्ट "अ"

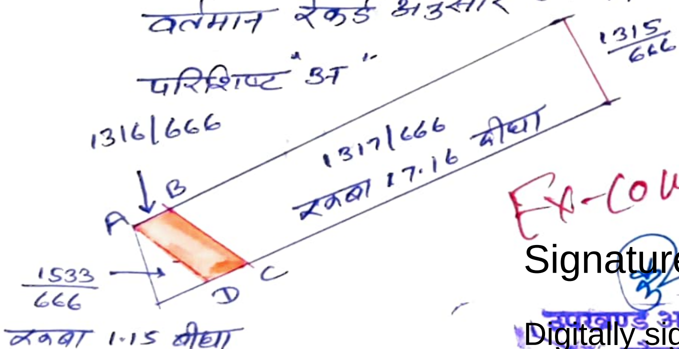

मौका-स्थिति अनुसार नक्शा
परिशिष्ट "ब"

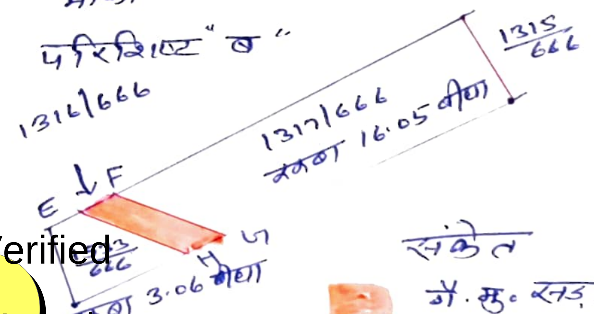

Ex-Count

संकेत
गै.मु. सड़क

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.06.24 17:26:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

मौके पर ग्राम वि[illegible] ख.नं. 1316/666 रकबा 0.2833 हैक्ट. (1.15 बीघा) गै.मु.सड़क (P.W.D के नाम) संलग्न नक्शा परिशिष्ट "ब" में दर्शाए बिन्दु EF से GH बरंग नारंगी अनुसार स्थित है। उक्त सड़क के ख.नं. 1316/666 रकबा 0.2833 हैक्ट. (1.15 बीघा) वर्तमान रेकर्ड में तरमीम अनुसार परिशिष्ट "अ" में दर्शाये बिन्दु AB से CD बरंग नारंगी अनुसार है।

सड़क के दक्षिण दिशा में मूल ख.नं. 666 का शेष भाग मौके पर रकबा ... हैक्ट. (3.06 बीघा) है जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार ख.नं. ... रकबा 0.2833 हैक्ट. (1.15 बीघा) दर्ज है। सड़क के उत्तर ... ग्राम राजीवनगर के ख.नं. 1317/666 का मौके पर रकबा 2.6304 हैक्ट. (16.05 बीघा) है जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार रकबा 2.8813 हैक्ट. (17.16 बीघा) दर्ज है।

जबकि वर्तमान रेकर्ड में तरमीम अनुसार उक्त ख.नं. 1316/666 रकबा 0.2833 हैक्ट (1.15 बीघा) तथा मौका अनुसार भी जे.मु. सड़क के ख.नं. 1316/666 रकबा 0.2833 हैक्ट. (1.15 बीघा) है अर्थात सड़क का रकबा में मौके व रेकर्ड में कोई भिन्नता नहीं है।

मौका फर्द मौके पर तैयार कर वाचन किया गया एवं सहमति स्वरूप हस्ताक्षर / अ.नि. करवाये गये।

15/4/2024

ILR चौहटन

ननदा

गीतादेवी

18/4/024

ओमप्रकाश

तहसीलदार चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.06.24 17:26:25 IST
Reason: SelfAttested